तारीख	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
27/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 09/09/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 27/8/25	
9/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 01/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 09/09/25	
1/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 13/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 01/10/25	
13/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रपक्ष उपस्थित। बहस प्रा० पत्र के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं शपथ पत्रों का अवलोकन किया गया। [illegible] १. अप्रपक्ष इस तथ्य [illegible] पिता रामसिंह के दो पुत्र [illegible] - सोहनबाई व कृष्णाबाई [illegible] बेवा - धापू [illegible] हैं जिसमें बेवा धापूबाई मौत हो चुकी है। इस तथ्य पर भी सहमत है कि परबीसिंह की मृत्यु होने पर उपरोक्त	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खाते नामा० सं० 450 दिनांक 20/05/2006 से दर्ज वारिसान इन्द्रसिंह, परवतसिंह, सोहनबाई, कृष्णाबाई एवं बेवा धापूबाई हिस्से 1/5-1/5 की सहखातेदार दर्ज हुए थे। इसके बाद बेवा धापूबाई के फौत होने पर पुनः नामान्तरण सं० 474 दिनांक 20/11/2008 से धापूबाई की जगह चारों पुत्र-पुत्रियों का नाम दर्ज हुआ था। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक वारिसान 1/4-1/4 भाग पर दर्ज हुआ था जिसमें से प्रत्येक का 1/5 भाग तो पिता परवतसिंह से विरासत में और 1/20 भाग माँ धापूबाई से विरासत में प्राप्त हुआ था। उपरोक्त विवेचन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी परवतसिंह (दादा) से इन्द्रसिंह (पिता) को एवं धापूबाई (दादी) से इन्द्रसिंह (पिता) को undivided रूप में प्राप्त हुई है।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Shyam Narayan prasad V/s Krishna prasad (2018) 7 SCC 646 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि "It is well settled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father and father's father's father is an ancestral property."

माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने S. Sampoornam V/s V.K. Shanmugam 2022 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि "fourth male generation से undivided रूप में विरासत में प्राप्त संपत्ति, उस हिन्दू की पैतृक संपत्ति है।"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

Gurdip Kaur V/s Ghamand Singh 1964 SCC online Punj. 180 मामले में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Ancestral property was said to be a property inherited from father, father's father or great grand father."

Sarvamma V/s V. R. Virupakshaiah 2010 SCC online Kar 136 मामले में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Ancestral property is inherited up to four generations of male lineage and must remain undivided throughout the period of lineage."

4. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त आराजी केवल दो पीढ़ीयो (परधानसिंह से इन्द्रसिंह तक) तक ही विरासत में आने से और इन्द्रसिंह के जीवित होने से पैतृक संपत्ति की परिभाषा में cover नहीं होती है अतः प्रकरण प्रथम तुलना प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं है।

5. सुविधा का संतुलन :- [illegible] आराजी पैतृक आराजी साबित नहीं हुई है। [illegible] स्वयं कोर्ट के समक्ष [illegible] किया है कि प्रार्थी (कुरा) व पत्नि दोनों उसका ना तो कभी भरण पोषण किया है और न ही बीमारी का इलाज करा रहे है। दोनों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	पक्षों ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी (पुत्र) एवं पत्नि (मां) दोनों लम्बे समय से अप्रार्थी 1 के साथ नहीं रह कर, अप्रार्थी 1 से अलग में रहते है अर्थात प्रार्थी अपने पिता अप्रार्थी 1 की वृद्धावस्था में सेवा, ईलाज, देखभाल नहीं करके अपनी मां के साथ ननिहाल के गांव/पाल कराडिया शेरपुर रहता है। अप्रार्थी 1 की देखभाल व ईलाज उनके भाई एवं बहिन ही करना प्रतीत होता है। अतः जाहिर होता है कि प्रार्थी (पुत्र) एवं प्रार्थी की माता (पत्नि) अप्रार्थी 1 के प्रति अपने पुत्र-धर्म व पत्नि-धर्म (क्रमशः) का निर्वहन नहीं कर पा रहे और बिना कर्त्तव्य निर्वहन के अधिकार उत्पन्न होना या अधिकार मांगना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है। 6. अपूरणीय क्षति :- प्रकरण में प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति कारित होना साबित नहीं होती है। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र [illegible] RTA [illegible] 39 R 1&2 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। अप्रार्थी 2 पालना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी 8/10/2[illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:47:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner